5/12/08

175

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA –800 001

No. L.A.Sur/1564 **Dated: - 28/11/08**

To,

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

8/12/08

Sir,

Audit Report No.- **405/2008-09** on the accounts of **Nagar Parishad, Dehri-Dalmianagar** for the period **2006-07 to 2007-08** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours faithfully

Encl: -As above

05 DEC 2008

B Kumar

(Bhairab Kumar)
Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing, Bihar, Patna

5603

08/12

16/12/08

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :-405/2008-09

1. **प्रस्तावना**

डिहरी-डालमियानगर नगर परिषद के वर्ष 2006-07 से 2007-08 तक के लेखाओं की नमूना जांच प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), स्थानीय लेखा-परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के एक लेखा-परीक्षा दल द्वारा दिनांकः-07.07.08 से 16.08.08 तक की अवधि में की गयी।

2. **प्रशासन**

क्र.सं.	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1.	श्री मनीष कुमार सिंह	01.04.06 से 08.07.07
2.	श्रीमति सुनीता पासवान	09.07.07 से 31.03.08
उपाध्यक्ष का नाम		
1.	मो0 वसीरूद्दीन राईन	01.04.06 से 08.07.07
2.	श्रीमति विन्दा देवी	09.07.07 से 31.03.08
कार्यपालक पदाधिकारियों का नाम		
1.	श्री संतोष कुमार	01.04.06 से 21.09.06
2.	श्री मृत्युजंय कुमार	22.09.06 से 08.04.07
3.	श्री अवधेश कुमार आनन्द	09.04.07 से 31.03.08

3. **लेखा-परीक्षा का क्षेत्र**

अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट-I** में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट-II** में दी गई है।

4. **आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन**

बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट-1922 अथवा इसके नियमों में आंतरिक लेखा-परीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन म्यूनिसिपल लेखा नियम-1928 **(नियम-20,64 एवं 73(क) इत्यादि)** में यह उपबंधित है कि आंतरिक जांच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

13

कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार प्राधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय के द्वारा किया जाएगा। इस तरह की जांच की व्यवस्था उचित नियन्त्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी थी।

अभिलेखों की जांच के क्रम में यह पाया गया कि इस तरह की जांच की व्यवस्था नगर-परिषद प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गयी जिनका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिकाओं में की गई है।

अतः नगर प्रशासन से अनुरोध है कि नियम के उपबन्धों के अनुरूप जांच की व्यवस्था की जाय ताकि किसी भी संभावित अनियमितता से बचा जा सके ताकि अभिलेखों का उचित संधारण हो सके।

5. महत्वपूर्ण अंकेक्षण उपलब्धियाँ

क्र.सं.	कंडिका सं.	राशि	विवरण
1.	19	2868840.00	निधि का अवरूद्ध
2.	19 (क)	3425000.00	निधि का अवरूद्ध
3.	20 (क)	3637088.00	लंबित योजनाओं पर अग्रिम
4.	21	48988.00	अंकेक्षण के दौरान जमा की गई राशि
	21	111069.00	जमा नहीं
5.	22	53296.00	रोकड़पाल द्वारा जमा नहीं
6.	23	163768.27	वसूली लेखे (जमा नहीं)
7.	24	-	एच0 रसीद/विविध रसीद अनुपलब्ध
8.	27	6,72,150.00	दुकान किराया बकाया
9.	30	6072103.00	शिक्षाकर एवं स्वास्थ्य कर
10.	31	-	प्रत्यक्ष विनियोग
11.	32	-	धोखा-धड़ी द्वारा राशि का गबन

12.	33 (क)	2,11,161.00	वेतन मद में अधिक निकासी
13.	39	985497.00	अग्रिम (असमायोजित)

6. <u>अधिदृश्य</u>

वर्ष 06-07 से 07-08 तक में नगर परिषद डेहरी-डालमियानगर को केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा स्वयं के आय से प्राप्त राशि से संबंधित आय-व्यय तैयार कर नहीं दिया गया, फिर भी रोकड़ पंजी में दर्ज विवरणी के अनुसार पी0एल0 खाता का आय-व्यय इस प्रकार छे-

क्र.सं.	विवरण	2006-07	07-08
1.	प्रारंभिक शेष (1.4.06)	17385446.53	9915264.53
2.	**वर्ष की प्राप्तियाँ :-**		
	(i) सरकारी अनुदान (वेतन एवं भत्ता)	800301.00	36,82,320.00
	(ii) मुद्रांकन शुल्क	16,60,400.00	1580960.00
	(iii) स्वयं सं आय	832462.00	2193642.00
	(iv) सरकारी ऋण	शून्य	शून्य
	(v) एकादश वित्त आयोग	शून्य	शून्य
	(vi) द्वादश वित्त आयोग	1961572.00	2767606.00
	(vii) पेय जलापूर्ति योजना	शून्य	शून्य
	(viii) रा0 गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम	शून्य	शून्य
	(ix) लघु एंव मध्यम शहरी विकास योजना	शून्य	शून्य
	(x) स्वर्ण जयन्ती शहरी रो0 योजना	शून्य	शून्य
	(xi) प्रशासनिक भवन	शून्य	38,79,075.00

	निर्माण		
	(xii) डी0पी0 आर0	शून्य	50000.00
	(xiii) विधायक मद, (गैर योजन मद)	शून्य	28,68,840.00
	(xiv) सफाई कार्य हेतु आधुनिक उपकरणों के खरीदने हेतु	34,25000	शून्य
	(xv) बी0पी0एल0 सर्वेक्षण कार्य	357021	शून्य
	(xvi) नगर परिषद चुनाव	10000	शून्य
3.	कुल जोड़ (1+2)	26432202.53	26937707.53
4.	**व्यय :-**		
	(i) स्थापना एवं विविध व्यय	2587417.00	6921724.63
	(ii) एकादश वित्त आयोग	2604512.00	139471.00
	(iii) द्वादश वित्त आयोग	1325000.00	शून्य
	(iv) पेय जलापूर्ति योजना	10000000.00	शून्य
5.	जोड़ (i+ii+iii+iv)	16516938.00	7061195.63
6.	**अंतिम शेष :- (3-5)**	**9915264.53**	**19876511.90**

रोकड़ पंजी का शेष (31.3.08)			1,98,76511.90
बैंक पासबुक का शेष			
(i)	कोषागार पासबुक	1,56,62,482.86	
(ii)	प्रशासनिक भवन (म0वि0ग्रा0 बैंक, खाता सं0- 256)	14,69,325.00	
(iii)	बी0पी0एल0 सर्वेक्षण	1,59,033.00	

	(म0वि0ग्रा0 बैंक, खाता सं0- 6709)		(-)1,74,62,519.92
(iv)	भा0 स्टेट बैंक, डिहरी खाता सं0- 11352484466	1,71,679.06	
		1,74,62,519.92	
अन्तर की राशि			**24,13,991.98**

रोकड़ पंजी के शेष एवं बैंक पासबुक के शेष के अन्तर की राशिः-24,13,991.98 का समाधन विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ख) परिषद् में संधारित होने वाले अन्य रोकड़ पंजी एवं पासबुक के 31.3.08 तक की स्थिति इस प्रकार है-

क्र. सं.	**मद का नाम**	**रोकड़ पंजी की 31.3.08 का शेष**	**पासबुक का 31.3.08 का शेष**	**अन्तर की राशि**	**बैंक का नाम/खाता सं0**
1.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	संधारित नहीं	12,75,369.00	-	म0बि0ग्रा0 बैंक, डिहरी, A/C - 4515
2.	राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम	अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं	260349.00	-	(i)म0बि0ग्रा0 बैंक, डिहरी, खाता सं0- 4785
			1959139.00	-	(ii)पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0- 5788
3.	एकादश वित्त आयोग	संधारित नहीं	436627.00	-	(i) म0वि0ग्रा0 बैंक डिहरी खाता सं0-

					5711 (ii) पंजाब नेशनल बैंक, भेड़िया खाता सं0- 5789
4.	पेशन फन्ड	अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं	11000.00	-	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डिहरी खाता सं0- 10769
5.	लघु एवं मध्यम शहरी विकास योजना	संधारित नहीं	4,25,655.19	-	भा0 स्टेट बैंक डालमियानगर खाता सं0- 11354628974

<u>अंकेक्षण टिप्पणी</u>

(i) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये रोकड़ पंजी एवं असंधारित रोकड़ पंजी को संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) रोकड़ बही का शेष एवं पासबुक के शेष के अन्तर की राशि का समाधान विवरण बनाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ग) **<u>पी0 एल0 खाता रोकड़ बही</u>**

रोकड़ बही का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था. इसके संधारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयीः-

(i) वर्ष- 06-07 एवं 07-08 तक किसी भी वर्ष हेतु प्रारंभिक शेष एवं अन्तः शेष नहीं दर्शाया गया

(ii) आय एवं व्यय का शीर्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया

(iii) भुगतानों की गई प्रविष्टियों के विरूद्ध चेक संख्या/दिनांक दर्ज नहीं था।

(iv) लेखा-परीक्षा अवधि में किसी भी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा रोकड़ बही में हस्ताक्षर नहीं था।

(v) मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आय-व्यय का जोड़ नहीं था।

(vi) रोकड़ बही में किसी भी लेखापाल का हस्ताक्षार नहीं था

(vii) रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में दर्ज कई प्राप्तियों के प्राप्ति श्रोत का उल्लेख नहीं किया गया था।

(viii) रोकड़ बही का मासिक एवं वार्षिक जोड़ नहीं रहने के कारण कभी भी वित्तीय अनियमितता हो सकती है।

(घ) **नगर परिषद निधि का कोषागार के अतिरिक्त अन्य खाते में भी रखा जाना।**

अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद निधि को सासाराम कोषागार के अतिरिक्त कई अन्य बैंक खातों में भी रखा गया है जो बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट-1922 की धारा-66 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है। उक्त प्रावधानों के अनुसार जबतक राज्य सरकार अन्यथा निर्देशित नहीं करे, नगर परिषद निधि में प्राप्त सभी राशियाँ राज्य सरकार के कोषागार में जमा की जायेगी। अतः कार्यपालक पदाधिकारी का सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में संचालित सभी बैंक खातों को बन्द कर, उनकी अवशेष राशियाँ सासाराम कोषागार में नगर परिषद के पी0एल0 खाता में जमा किया जाय।

7. **पूर्ववर्त्ती लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन**

लेखा-परीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में से एक भी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया, जिससे लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाये जायें।

8. **बजट**

बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल अधिनियम 1922 की धारा 71 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के कम से कम दो महीना पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार कर नगर परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है एवं अधिनियम की धारा-73 के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा स्वीकृत

बजट प्राक्कलन राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निदेशित प्राधिकारी को भेज दी जाएगी.

लेखा परीक्षा अवधि 2006-07 से 07-08 तक में बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। इस प्रकार अधिनियम की धारा-75 के प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि नगर परिषद कोष से ऐसा कोई व्यय नहीं किया जा सकता है जो आयुक्तों/परिषद सदस्यों द्वारा प्राधिकृत एवं बजट प्राक्कलन के अनुसार स्वीकृत न हो।

9. **वार्षिक लेखे**

बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम-82 से 84 के प्रावधान के अनुसार नगर परषिद को प्राप्तियों एवं भुगतानों के मासिक, त्रैमासिक सार एवं वार्षिक लेखे तैयार किया जाना था लेकिन नगर परषिद द्वारा वर्ष-06-07 एवं 07-08 का लेखा एक भी वर्ष के लिए तैयार नहीं किया गया।

वार्षिक वित्त विवरण (बजट) एवं वार्षिक लेखे नहीं बनाये जाने के कारण प्राप्तियों एवं भुगतानों के विभिन्न शीर्षों में भिन्नता का पता अंकेक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सका। इस के प्रकार वार्षिक लेखे निश्चित रूप से तैयार किए जायें।

10. **राज्यानुदान**

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 14 (ए) में विहित प्रारूप में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। पूर्व में, अनुदान की प्राप्त राशि, व्यय की गई राशि एवं वर्षान्त में शेष लम्बित राशियों का विवरण, अनुदान पंजी का संधारण नहीं किए जाने के कारण, ज्ञात नहीं हो सका।

रोकड़ पंजी, कोषागार जमा पंजी आदि के आधार पर लेखा-परीक्षा अवधि में वेतन भत्ते मद में प्राप्त राज्यानुदान की विवरणी निम्नलिखित है।

क्र.सं.	पत्रांक सं./दिनांक	रोकड़ पंजी में दर्ज की तिथि	राशि	विवरण
		06-07		
1.	–	18.5.06	4,32,069.00	कर्मचारियों को चिकित्सा अनुदान
2.	3115/न0वि0/11.9.06	19.12.06	19,61,572.00	12वें वित्त आयोग से प्राप्त गैर योजना मद
3.	3575/न0वि0व0/19.9.06	19.12.06	34,25,000.00	सफाई कार्य हेतु आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों के क्रय हेतु।
4.	चेक सं.-133533/6.12.06	25.1.06	357021.00	बी0पी0एल0 सर्वेक्षण को हेतु
5.	84/न0वि0वि0/7.3.07	28.3.07	3,68,232.00	वेतनादि
6.	231/जि0प0 रोहतास/26.3.07	29.3.07	10,000.00	न0 निकाय चुनाव हेतु
		07-08		
7.	1667/न0वि0व0/18.4.07	11.5.07	38,79,075.00	मोडल प्लान के अनुरूप प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 75% की राशि
8.	–	13.9.07	50,000.00	डी0पी0आर0 तैयार कराने हेतु
9.	–	19.7.07	171000.00	विविध मद में वसूली की राशि (अनु0कार्यालय)
10.	5263/न0वि0	2.2.08	3682320.00	वेतनादि

	व0/26.11.07			
11.	5674/न0वि0वि व0/19.12.07	26.3.08	2767606.00	12वें वित्त आयोग में प्राप्त राशि
12.	857/न0वि0वि 0/21.2.08	26.3.08	28,68,840.00	विधायक मद, गैर योजना, मद
			1,99,72,735.00	

अनुदान पंजी विहित प्रपत्र में संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय

11. **अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क**

वर्ष–06–07 से 07–08 तक में नगर–परिषद डिहरी–डालमियानगर में अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क के रूप में कुल राशिः–32,41,360.00 रू0 की प्राप्ति हुई। जिसका विवरण निम्नलिखित है–

क्र.सं.	पत्रांक सं./दिनांक	रोकड़ पंजी में दर्ज की तिथि	राशि
06–07			
1.	2023/20.9.06	28.9.06	7,92,470.00
2.	2864/11.12.06	12.1.07	8,67,930.00
07–08			
3.	1–आर/3066/87–1351/15.5.07	16.7.07	11,08,500.00
4.	2778/8.10.07	12.1.08	4,72,460.00
कुल			32,41,360.00

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क पंजी को संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

12. <u>एकादश वित्त आयोग</u>

एकादश वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत नगर-परिषद डिहरी-डालमियानगर को वर्ष 06-07 एवं 07-08 तक में सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी पूर्व में प्राप्त अनुदान कोषागार पासबुक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक डिहरी, खाता सं0-5711 तथा पंजाब नेशनल बैंक भेड़िया (डिहरी), बचत खाता सं0-5789 के अनुसार 31.3.06 तक के शेष राशि से वर्ष-06-07 एवं 07-08 तक में पूर्व के लंबित येाजनाओं पर व्यय किया गया।

पी0एल0 खाता के पासबुक/रोकड़ पंजी में एकादश वित्त आयोग की राशि का 31.3.06 का अंतिम शेष दर्शाया नहीं गया था, लेकिन वर्ष-06-07 से 07-08 तक में कुल राशि 27,93,992.00 लंबित योजनाओं पर व्यय किया गया।

(विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट- III** पर)

जबकि पी0 एल0 खाता के अतिरिक्त बैंकों का भी दो खातों का संचालन किया गया था। तथा उससे संबंधित कोई पंजी/अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) खाता सं0-5711 एवं खाता सं0-5789 से संबंधित रोकड़ पंजी, पासबुक, अभिश्रव अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ख) वर्ष-06-07 से 07-08 तक में लंबित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोषागार पासबुक एवं बैंक खाता सं0-5711 से क्रमशः 27,43,992.00 एवं 50000.00 व्यय किया गया था, योजना से संबंधित योजना अभिलेख अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तब तक व्यय की गई कुल राशि-27,93,992.00(2743992+50000) रू0 अंकेक्षण आपित्त के अधीन रखा जाता है।

163

13. <u>द्वादश वित्त आयोग</u>

नगर-परिषद डिहरी-डालमियानगर को 12वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकार से वर्षः 2006-07 एवं 07-08 में इस प्रकार अनुदान प्राप्त हुआ-

क्र. सं.	पत्रांक सं./दिनांक	राशि	रोकड़ पंजी में दर्ज की तिथि	जमा राशि का लेखा सं.
1.	3115/न0वि0वि0/ 11.9.06	19,61,572.00	19.12.06	कोषागार खाता
2.	5674/न0वि0वि0/ 19.12.07	27,67,606.00	26.3.08	-तथैव-

12वें वित्त आयोग में प्राप्त अनुदान की राशि का आय-व्यय विवरणी इस प्रकार है-

	06-07	07-08
प्रारंम्भिक शेष	27,81,581.00	34,18,153.00
प्राप्ति	19,61,572.00	27,67,606.00
जोड़	47,43,153.00	61,85,759.00
व्यय	13,25,000.00	शून्य
अंतिम शेष	34,18,153.00	61,85,759.00

प्राप्त राशि से नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इसके मुख्य घटक निम्न हैं।

(i) उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का 50% राशि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर व्यय की जायेगी, जिसके अंतर्गत अपशिष्टों का संग्रहण, पृथकीकरण और परिवहन इत्यादि विविध कार्य सम्मिलित रहेगें। इसके अतिरिक्त शेष 50% की राशि में से निम्न कार्यों पर व्यय की जायेगी--

(क) नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्धि/सृजन (एक प्रतिशत)

(ख) ई-गवर्नेंस (न्यनतम एक प्रतिशत अधिकतम 3%) इसके अंतर्गत राशि का व्यय डबल इंट्री प्रणाली द्वारा लेखा संधारण/मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण/उपर्युक्त डाटा प्रणाली का विकास आदि कार्य सम्मिलित होगें।

(ग) शेष 46% की राशि नगर-क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं/सेवाओं को बनाए रखने संबंधी योजनाओं/कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी। इसके अर्न्तगत पेय जलापूर्ति, पथ-निर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाईटिंग इत्यादि विविध कार्य कराया जाय, जलापूर्ति के अन्तर्गत मोटर पम्पों, चापाकल इत्यादि की मरम्मति जीणोद्धार एवं अन्य आवश्यक कार्य कराये जा सकते है।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) अभिकर्त्ता को दी गयी अग्रिम की राशि :-13,25,000.00 रू0 से संबंधित योजना संचिका, मापी-पुस्तिका एवं अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे अगले अंकेक्षण में निश्चित रूप से प्रस्तुत कराया जाय। तब तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - IV** पर)

(ii) व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कराया जाय।

(iii) सरकार के दिशा-निर्देश के बावजूद लेखाओं का संधारण डबल इन्ट्री प्रणाली में नहीं किया जा रहा है.

(iv) पर्याप्त निधि रहने के बावजूद भी वर्ष-06-07 एवं 07-08 में कोई योजना का चयन नहीं किया गया तथा न ही अंकेक्षण में कारण स्पष्ट किया गया।

14. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना**

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत नगर परिषद डिहरी-डालमियानगर को वर्ष- 06-07 एवं 07-08 तक में सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था तथा इस योजना में पूर्व में

प्राप्त राशि को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, डिहरी के बचत खाता सं0-4515 में जमा किया गया था तथा इसके दो घटकों के लिए दो रोकड़ पंजी का संधारण किया गया था। फिर भी पूर्व में प्राप्त अनुदान की शेष राशि का आय-व्यय इस प्रकार है-

यू0 डब्लू0 ई0 पी0		
	2006-07	2007-08
प्रारंम्भिक शेष	16,29,311.00	7,59,569.00
प्राप्ति		
अनुदान	शून्य	शून्य
ब्याज	52,758.00	43497.00
जोड़	16,82,069.00	8,03,066.00
व्यय	922500.00	100.00
अंतिम शेष	7,59,569.00	8,02,966.00

रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के शेष के अन्तर का समाधान विवरण निम्नलिखित है-

बैंक पासबुक का शेष (31.3.08)		12,75,369.00
रोकड़ पंजी का शेष		
(क) यू0 डब्लू0 ई0 पी0	8,02,966.00	
(ख) यू0 एस0 ई0 पी0	3,97,378	
	12,00,344.00	
जोड़: पूर्व प्रतिवेदन में उठाये गये आपत्ति में अन्तर की राशि रोकड़ पंजी में संधारित नहीं किया गया	75,025.00	12,75,369.00

31.3.08 को पासबुक के शेष एवं रोकड़ पंजी का शेष की अन्तर की राशि का समाधान विवरणी के अनुसार दोनों का अन्तर की राशि को रोकड़ पंजी में संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) वर्ष 05-06 की लंबित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु श्री सुधीर कु0 रावत को कुल राशिः-9,22,500.00 रू0 अग्रिम भुगतान किया गया जिससे संबंधित योजना पंजी, योजना संचिकाएँ, मापी-पुस्तिका एवं अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कराया गया जिसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कराया जाय ताकि आवश्यक जांच हो सके।

(ख) लंबित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक स्थिति का अद्यतन प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ग) व्यय से संबंधित राज्य सरकार को भेजी गई उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(घ) रोकड़ पंजी पूर्ण रूपेण संधारित नहीं था तथा किसी भी कर्यापालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था।

(च) यू0 एस0 ई0 पी0 से संबंधित रोकड़ पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

15. **राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम**

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त राशियों के आधार पर तथा पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 31.3.06 तक के शेष राशियों को वर्ष-2006-2007 एवं 07-08 तक में व्यय किया गया। जिससे संबंधित कोई रोकड़ बही अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर भी बैंक खाता के शेष के आधार पर विभिन्न खातों की स्थिति इस प्रकार है-

क्र.सं.	बैंक का नाम/खाता सं.	शेष राशि (1.4.06) प्रतिवेदन
1.	म0 बिहार ग्रा0 बैंक, डिहरी खाता सं.- 4785	2,42,989.00
2.	पंजाब नेशनल बैंक, भेड़िया खाता सं.- 5788	34,04,583.00

59

जबकि प्राप्त बैंक विवरणी के अनुसार दोनों बैंक खाता की वर्ष - 06-07 एवं 07-08 तक की व्यय की स्थिति इस प्रकार है।

	खाता सं.- 4785	खाता सं.- 5788
प्रारंम्भिक शेष (1.4.06)	2,42,989.00	34,04,583.00
प्राप्ति		
अनुदान	शून्य	शून्य
सूद	17460.00	134586.00
जोड़	2,60,449.00	35,39,169.00
व्यय (06-07 एवं 07-08) (खाता सं.- 4785 से 16.7.08 तक का व्यय दर्शाया गया है)	217600.00	15,80,030.00
शेष-	42,849.00	19,59,139.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) इस योजना से संबंधित रोकड़ बही, चेक अधकट्टी अंकेक्षण में दिखाया नहीं गया जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) बैंक विवरणी के अनुसार दोनों खातों से कुल राशि रू0 17,97,630.00 (217600+1580030) व्यय की गयी तथा व्यय से संबंधित योजना अभिलेख, मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तब तक व्यय की गई राशिः- 17,97,630.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(iii) अंकेक्षण अवधि तक लंबित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति का अद्यतन प्रतिवेदन बनाकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

16. प्रशासनिक भवन निर्माण

प्रशासनिक भवन निर्माण के अंर्तगत नगर परिषद डिहरी-डालमियानगर को पत्रांक सं.-1667/न0वि0वि0/18.4.07 को कुल राशिः- 38,79,075.00 रू0 प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु

75% अनुदान की राशि प्राप्त हुयी. प्राप्त राशि को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक डिहरी, खाता सं.- CA/256 में रखा गया तथा यह राशि पी0 एल0 खाता के रोकड़ बही में प्राप्ति पक्ष में संधारित की गयी थी तथा व्यय हेतु एक सहायक रोकड़ बही अलग से संधारित थी। रोकड़ बही के अनुसार आय-व्यय इस प्रकार था।

2007-08	
प्रारंम्भिक शेष	शून्य
प्राप्ति	38,79,075.00
जोड़	38,79,075
व्यय	24,07,500.00
अंतिम शेष	14,71,575.00
बैंक पास बुक का अंतिम शेष :-	14,69,325.00
अन्तर की राशि	2250.00

रोकड़ बही के अंतिम शेष एवं पासबुक के अंतिम शेष की अंतर की राशि :- 2250.00 रू0 था लेकिन जांच में ज्ञात हुआ कि रोकड़ बही में बैंक के द्वारा सेवा शुल्क कटौती की गई राशि रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज नहीं थी।

योजना का विस्तृत विवरण इस प्रकार था

क्र. सं.	यो.सं./वर्ष	प्रा. राशि	मापी की राशि	व्यय की राशि	अभिकर्त्ता का नाम	अभियुक्ति
1.	01/07-08	51,72,100.00	14,91,011.00	24,07,500.00	श्री अशोक कुमार, प्र0 सहायक सह लेखापाल	मापी की राशि संचिका में दर्ज टिप्पणी के अनुसार पृ0-61/टि0/23.2.08

ST

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) रोकड़ बही का शेष एवं पासबुक के शेष के अंतर की राशिः-2250.00 रू0 को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ख) अनुदान की प्राप्त राशि-38,79,075.00 रू0 म0 बि0 ग्रा0 बैंक डिहरी में दिनांक-03.05.07 को नया चालू खाता खोलकर जमा किया गया, चालू खाता में जमा करने के कारण परिषद निधि को लाखों रू0 की हानि उठानी पड़ी। तथा सूद के कारण हुई की हानि को जमा तिथि से जब तक खाता बन्द कर बचत खाता में जमा नहीं किया जाता है तब तक सूद की गणना कर जवाबदेह व्यक्तियों से वसूल कर परिषद निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ग) पत्र सं0-2, यो0/वि0 1-21/05-1398/न0वि0वि0/30.3.07 के पैरा-3 के अनुसार कार्य का निस्पादन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर सरकार द्वारा दिये गये अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी के पश्चात् टी0 भी0 सं0 एवं तिथि, को सरकार को भी सूचित किया जाएगा, तथा सरकार को भेजी गये पत्र की एक प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(घ) पत्रांक सं0-5450/न0वि0वि0/6.12.07 एवं 5 ब/प्र0म0/-2-01/07-833/न0वि0वि0/21.2.08 के अनुसार प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मांग पत्र एवं पूर्व में आबंटित राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्व में आबंटित राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अबिलम्ब विभाग को उपलब्ध कराना था अन्यथा राशि वापसी की कार्रवाई की जानी थी। इससे संबंधित राज्य सरकार को न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया, न ही प्राप्त राशि की वापसी हेतु कारवाई की गई।

(च) योजना से संबंधित संचिका में अभिश्रव संलग्न था लेकिन मापी पुस्तिका नहीं थी इस योजना से संबंधित सभी अभिलेखों को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(छ) टिप्पणी में दर्ज मापी पुस्तिका का मूल्यः–1491041.00 रू0 तथा अभिकर्त्ता को कुल भुगतान की गई राशिः–24,07,500.00 था, यानी 916489.00 रू0 (2407500–1491041.00) अभिकर्त्ता को अधिक भुगतान किया गया था. साथ ही, करीब दो–तीन माह से कार्य बंद था तथा अभिकर्त्ता को अधिक भुगतान की गई अग्रिम की राशि 9,16,489.00 रू0 का समायोजन अवधि तक सूद की गणना कर सूद की राशि अभिकर्त्ता श्री अशोक कुमार से वसूल कर परिषद निधि में जमाकर तथा अग्रिम की राशि 9,16,489.00 का समायोजन/वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

17. **<u>बी0पी0एल0 सर्वेक्षण कार्य</u>**

बी0पी0एल0 सर्वेक्षण कार्य के अन्तर्गत नगर परिषद डिहरी–डालमियानगर को जिला पदाधिकारी, सासाराम के द्वारा चेक सं0–133533/6.12.06 द्वारा, 357021.00 एवं बैंक विवरणी के अनुसार दिनांक–01.02.08 को 120507.00 रू0 प्राप्त हुआ, यानी 477528.00 (357021.00 +120507.00) प्राप्त हुआ। जिसे मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, डिहरी, खाता सं0–6709 में जमा किया गया।

प्राप्त बैंक विवरणी के अनुसार आय–व्यय की स्थिति इस प्रकार थी।

	06–07	**07–08**
प्रारंम्भिक शेष	शून्य	84511.00
प्राप्ति		
अनुदान	3,57,021.00	1,20,507.00
सूद	954.00	3105.00
जोड़	3,57,975.00	208123.00

व्यय	273464.00	49,090.00
अंतिम शेष	84511.00	1,59,033.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) रोकड़ बही, चेक अधकट्टी तथा अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तब तक इसपर व्यय की गई राशि–3,22,554.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

18. **पेय जलापूर्ति योजना**

वर्ष– 05–06 में पेय जलापूर्ति योजना में नगर विकास विभाग से नगर परिषद डिहरी–डालमियानगर को कुल राशि–1,00,00,000.00 रू0 प्राप्त हुयी थी। जो कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सासाराम को प्रमाणक सं0–40, दिनांक–30.6.06, चेक सं0– Λ597877/30.6.06 के द्वारा कुल राशि–1,00,00,000.00 रू0 का भुगतान किया गया तथा राशि के व्यय से संबंधित सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार कोई अभिलेख एवं सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग, सासाराम से सम्पर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि नगर परिषद डिहरी–डालमियानगर से भेजी गई राशि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय, सासाराम की रोकड़ पंजी में दिनांक–5.7.06 (पेज सं0–29) को संधारित किया गया था, साथ ही द्वितीय किस्त की राशि–197.18 लाख रू0 न0वि0वि0 एवं आवास विभाग स्था0 लेखा 1017/98–1726 दिनांक– 31.3.08 को सीधे कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभि0 विभाग को भेजा गया था जिसका संधारण कार्य (Work) रोकड़ पंजी में पेज नं0–34, दिनांक–27.05.08 को किया गया था। कुल राशि–297.18 लाख रू0 में प्राप्त राशि से कुल राशि–172.14 लाख रू0 (जुलाई–08) नगर परिषद डिहरी डालमियानगर क्षेत्र में पानी टंकी की निर्माण हेतु

व्यय किया गया था जिसकी सूचना न तो नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का थी न ही इस व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद कार्यालय/न0वि0 विभाग को भेजी गई थी।

कार्यपालक पदाधिकारी को सलाह दी जाती है कि व्यय से संबंधित सभी अभिलेखों की एक प्रति परिषद कार्यालय में उपलब्ध करा लें तथा इसकी आवश्यक जांच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय, तब तक परिषद द्वारा भेजी गई राशि–100.00 लाख रू0 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

19. **विधायक मद, गैर योजना मद**

विधायक मद, गैर योजना मद के आलोक में सहाय अनुदान के रूप में सरकार से प्राप्त राशि नगर विकास विभाग, पटना के पत्रांक–857/न0वि0वि0/21.2.08 द्वारा डिहरी–डालमियानगर नगर परिषद को कुल राशि रू0– 28,68,840.00 प्राप्त हुयी थी। जो पी0एल0 खाता में 26.3.08 को जमा किया गया। वर्ष 07–08 में इस राशि से कोई खर्च एवं अंकेक्षण समाप्ति तक (8/08) कोई व्यय नहीं किया गया था।

(क) निधि का अवरूद्ध रहना

नगर परिषद डिहरी डालमियानगर को सफाई कार्य हेतु आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान के रूप में नगर विकास विभाग पटना के पत्रांक सं0–3575/न0वि0वि0/19.9.06 के द्वारा कुल राशि–34,25,000.00 रू0 प्राप्त हुआ था। जो पी0एल0 खाता में दिनांक–19.12.06 को जमा किया गया तथा तब से अंकेक्षण समाप्ति (8/08) तक इस मद से कोई व्यय नहीं हुआ था।

सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार प्राप्त अनुदान की राशि से सफाई मशीनों/उपकरणों को खरीद कर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को भेजना था लेकिन लगभग दो वर्षों तक प्राप्त अनुदान की राशि को अवरूद्ध कर रखा गया है. यदि नगर–परिषद को सफाई उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो

53

प्राप्त राशि सरकार के उचित शीर्ष में वापस जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

20. **<u>लघु एवं मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना (IDSMT)</u>**

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-183/2006-07 की कंडिका-28 एवं उपर्युक्त योजना से संबंधित संचिकाओं के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि केन्द्र प्रायोजित लघु एवं मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना के अर्न्तगत नगर-परिषद डिहरी-डालमियानगर को राज्य सरकार के ज्ञापांक-3-न0वि0/आई0डी0एस0 एम0टी0-32/03-156/न0वि0वि0/दिनांक-30.03.05, द्वारा 1,16,66,600.00 रू0 प्राप्त हुये। प्राप्त राशि को भारतीय स्टेट बैंक डालमियानगर में बचत खाता सं0-01100050057 में दिनांक-17.05.05 को जमा किया गया। दिनांक-17.05.05 को ही यह खाता, 1100.00 रू0 नगद जमा करके खोला गया था। इस प्रकार उक्त तिथि को खाते में कुल जमा राशि-1,16,67,700.00 थी। इस योजना की रोकड़ पंजी अलग से संधारित थी। इस योजना के रोकड़ बही के अनुसार आय-व्यय का ब्योरा निम्नवत था-

प्रारम्भिक शेष	शून्य
प्राप्ति	1,16,67,700.00
व्यय (31.3.08तक)	1,13,95,000.00
अन्त शेष (31.03.08)	2,72,700.00
भा0 स्टेट बैंक के नया खाता सं0-11354628974 की बैंक विवरणी के अनुसार अन्त शेष (31.03.08)	4,25,655.19

रोकड़ बही के अन्तशेष तथा बैंक विवरणी के अन्तशेष के अन्तर, बैंक द्वारा दी गई सूद की राशि रोकड़ बही में दर्शायी नहीं गई थी।

दिनांकः-31.03.06 तक इस योजना में कुल 1,11,95,000.00 रू0 व्यय किये गये थे। दिनांक -10.4.06 को

चेक सं0-0274106 दिनांकः-10.04.06 के द्वारा 2,00,000.00 रू0 की निकासी यो0 सं0-1/05-06 में अभिकर्त्ता को अग्रिम देने के लिये की गई। इस प्रकार दिनांक-31.03.08 तक कुल-1,13,95,000.00 रू0 का व्यय हुआ था।

स्वीकृत्यादेश पत्र द्वारा ही निम्नलिखित दो योजनाओं की सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी प्राक्कलित राशिः-1,32,35,000.00 रू0 थी।

क्र0सं0	योजना सं0/वर्ष	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1.	01/05-06	पाली मोड़ से एकता चौक तक पी0सी0सी0 रोड का निर्माण	82,87,000.00
2.	02/05-06	पक्की मोड़ रोड़ और मोहन विगहा रोड के एक किनारे नाला निर्माण योजना	49,48,000.00
कुल राशि			1,32,35,000.00

उपर्युक्त दोनों योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल रोहतास द्वारा दिनांकः- 20.05.05 को प्रदान की गई थी। नगर परिषद के कार्यादेश सं0-114 दिनांक- 02.07.05 तथा 155/02.07.05 द्वारा क्रमानुसार दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु श्री आलोक कुमार सिंह, कर संग्राहक को विभागीय अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया था तथा दोनों योजनाओं को दिनांक- 31.08.05 तक पूरा कर लेना था। इन दो योजनाओं के विरूद्ध अभिकर्त्ता को दिनांक 10.04.06 तक कुल 1,13,95,000.00 रू0 अग्रिम के रूप में दिया जा चुका था जिसका व्यौरा निम्नलिखित है-

51

योजना सं0- 1/05-06	79,47,500.00
योजना सं0- 2/05-06	34,47,500.00
योग	1,13,95,000.00

योजना से संबंधित संचिका एवं मापी पुस्तिका के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि कार्य समापन के लिये निश्चित तिथि (31.3.05) के लगभग तीन साल बाद भी (अगस्त-08 तक), उक्त योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका जबकि कुल उपलब्ध राशि का 98% खर्च हो चुका है। कार्य विभागीय था, परन्तु संचिका में न तो कोई मास्टर रौल का विपत्र था न ही योजना के क्रियान्वयन में उपयोग में लायी गई सामग्रियों के क्रय संबंधी अभिश्रव था।

मापी पुस्तिका में कनीय अभियन्ता द्वारा की गयी मापी भी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं थी। स्वीकृत्यादेश पत्र में यह निर्देश दिया गया था कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रगति प्रतिवेदन, वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की सूचना प्रभारी मुख्य नगर निवेशक, बिहार एवं राज्य सरकार को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करानी थी. साथ ही आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार तथा राज्य सरकार को भेजना था परन्तु नगर परिषद द्वारा सरकार के आदेश का पालन नहीं किया गया।

उपर वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं हुयीं तथा विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं हुआ।

इस संबंध में निम्नलिखित सूचनायें लेखा-परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी-

(i) पूर्ववर्ती लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में योजनाओं के कार्यान्वयन की उच्चस्तरीय जांच करवाने की अनुशंसा की गई थीं। इस संबंध में की गई कार्रवाई तथा उसके परिणाम से लेखा-परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

(ii) संबंधित मस्टर रौल तथा सामग्रियों की खरीदगी से संबंधित अभिश्रव आवश्यक जांच हेतु लेखा-परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।

(iii) योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु कार्रवाई एवं अद्यतन स्थिति से अवगत नहीं कराया गया।

तथ्यों के पूर्ण-स्पष्टीकरण होने तक व्यय की गई कुल राशि रू0 1,13,95,000/- आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

20. **(क) अपूर्ण योजनाओं में मापी पुस्तिका में अंकित कार्य मूल्य से अधिक अग्रिम का भुगतान तथा लंबित पड़े रहना**

केन्द्र प्रायोजित लघु एवं मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना (IDSMT) की संचिका के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ की कनीय अभियन्ता श्री आलोक कुमार सिंह, कर संग्राहक, नगर परिषद डिहरी-डालमियानगर जो नगर परिषद द्वारा संचालित कई विकास योजनाओं में अभिकर्त्ता थे, को संबोधित करते हुये अपने पत्र, दिनांक- 21.9.06 के द्वारा पूर्ण योजनाओं से संबंधित मस्टर रौल तथा अभिश्रवों को प्रस्तुत करने का आग्रह किये थे तथा पत्र के साथ पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं की विवरणी संलग्न थी। उक्त विवरणी की जांच के क्रम में यह पाया गया कि कई योजनाओं में मापी-पुस्तिका (M.B) में दर्ज कार्य के मूल्य से अधिक, अग्रिम के रूप में भुगतान की गई कुल राशि रू0 36,37,088.00 थी, जो अभिकर्त्ता के पास पड़ी हुयी थी।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-V** पर)

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिये गये अभिकर्त्ता को अग्रिम की राशि 36,37,088.00 रू0 वसूली/समायोजन हेतु, प्रभावी कदम उठाया जाय।

(ii) योजनाओं से संबंधित योजना अभिलेख, मापी पुस्तिका एवं मस्टर रौल तथा अभिश्रव अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।